2017 का विधेयक संख्यांक 275

[दि ब्रेस्ट कैंसर (अवेयरनेस एण्ड फ्री ट्रीटमेन्ट) बिल, 2017 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

स्तन कैंसर (जागरूकता और नि:शुल्क उपचार) विधेयक, 2017

महिलाओं में स्तन कैंसर को रोकने के लिए जनसाधारण में जागरूकता सृजित करने, स्तन कैंसर का निदान किए गए लोगों के लिए नि:शुल्क स्क्रीनिंग और चिकित्सीय उपचार तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्तन कैंसर (जागरूकता और नि:शुल्क उपचार) अधिनियम, 2017 है।

(*2*) इसका विस्तार केवल संघ राज्यक्षेत्रों पर होगा।

(*3*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी राज्य की दशा में उस राज्य की सरकार और अन्य सभी दशाओं में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''स्तन कैंसर'' से ऐसा रोग अभिप्रेत है जिसमें स्तन में कोशिकाएं नियन्त्रण से बाहर विकसित होकर एक गांठ बनाती हैं;

(ग) ''आयोजन'' में संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान शामिल हैं;

(घ) ''नि:शुल्क चिकित्सीय उपचार'' में स्तन कैंसर रोगियों के लिए नि:शुल्क औषधियों की आपूर्ति, प्रयोगशाला परीक्षण, चिकित्सीय उपचार और अन्य चिकित्सीय पद्धति शामिल हैं;

(ङ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र द्वारा यथा प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(च) ''स्क्रीनिंग'' से स्तन कैंसर का निदान करने के लिए मैमोग्राफी या एक्स-रे अभिप्रेत है; और

(छ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा जागरूकता सृजित करना।

3. केन्द्रीय सरकार जन संपर्क माध्यम से और ऐसे आयोजनों के द्वारा जो वह उचित समझे, स्तन कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जनसाधारण में जागरूकता सृजित करने के लिए ऐसे उपाय करेगी जो वह आवश्यक समझे।

समुचित सरकार द्वारा चिकित्सीय स्क्रीनिंग प्रदान करना।

4. समुचित सरकार स्तन कैंसर के मामलों का निदान करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों की सहायता से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में नि:शुल्क चिकित्सीय स्क्रीनिंग प्रदान करेगी।

समुचित सरकार द्वारा नि:शुल्क चिकित्सीय उपचार प्रदान किया जाना।

5. समुचित सरकार प्रत्येक स्तन कैंसर रोगी को सरकारी अस्पतालों में ऐसी रीति से नि:शुल्क चिकित्सीय उपचार प्रदान करेगी जो विहित किया जाए।

केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि प्रदान करना

6. केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा विधि के माध्यम से इस हेतु किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर पर्याप्त निधि प्रदान करेगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

7. इस अधिनियम के उपबंध विशेष न्यायालयों के उपबंध से संबंधित तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि या इस अधिनियम से अलग किसी भी विधि के द्वारा प्रभावी किसी भी लिखत में अंतर्विष्ट इसके असंगत किसी भी बात के होते हुए प्रभावी होंगे।

अधिनियम का अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना।

8. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

नियम बनाने की शक्ति।

9. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो, तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

महिलाओं में स्तन कैंसर रोग पिछले दशक में अत्यधिक बढ़ा है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के अनुसार, वर्ष 2016 में स्तन कैंसर के 1.5 लाख नए मामलों की सूचना है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने स्तन कैंसर को भारत में महिलाओं में सर्वाधिक होने वाला कैंसर बताया है। स्तन कैंसर भारत में महिलाओं के सभी कैंसरों का 27 प्रतिशत है और यह तीस वर्ष से पैंतीस वर्ष के बीच में शुरू होता है और 50-64 वर्ष की आयु में घातक रूप धारण कर लेता है। यह अनुमान है कि 28 महिलाओं में से एक महिला को उसके जीवनकाल में स्तन कैंसर होने की संभावना है।

जनसाधारण में स्तन कैंसर से तीव्रता से बढ़ने और उसकी गंभीरता के बारे में जागरूकता न होने के कारण इसका निदान सामान्य तौर पर इसके गंभीर एवं घातक हो जाने पर ही होता है जब इसका उपचार प्रभावहीन और खर्चीला बन जाता है। हाल की प्रवृत्तियां भी यह दर्शाती हैं कि भारत में युवा महिलाओं में स्तन कैंसर का जोखिम रहता है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों को स्तन कैंसर से प्रभावित महिलाओं को निःशुल्क निदान और चिकित्सीय उपचार प्रदान करने और इस खतरनाक रोग का सामना करने के लिए साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली; सुप्रिया सुले

28 नवम्बर, 2017

7 अग्रहायण, 1939 (शक)

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार स्तन कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जनसाधारण में जागरूकता सृजित करेगी। विधेयक का खण्ड 4 स्तन कैंसर के निदान के लिए महिलाओं की नि:शुल्क चिकित्सीय स्क्रीनिंग का उपबंध करता है। खण्ड 5 स्तन कैंसर रोगियों के नि:शुल्क चिकित्सीय उपचार का उपबंध करता है। खण्ड 6 यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार इस विधेयक के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त निधि प्रदान करेगी। अत: विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि से व्यय किया जाएगा। इस पर प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए की धनराशि का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर एक सौ करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 9 केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि नियम केवल ब्यौरे के मामलों से संबंधित होंगे, इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

महिलाओं में स्तन कैंसर को रोकने के लिए जनसाधारण में जागरूकता सृजित करने,
स्तन कैंसर का निदान किए गए लोगों के लिए निःशुल्क, स्क्रीनिंग और
चिकित्सीय उपचार तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—2881LS(S-3)—22.12.2017.